प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 14/2023

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र हरफुल सिंह जाति जाट निवासी संगठिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. हरफुल पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. बंशी लाल पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. रोशनी देवी पुत्री हरफुल पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी सरायण तहसील तारानगर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 13.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के ख0न0 20 की 20.15 बीघा, ख0न0 120 की 24.05 बीघा, ख0न0 148 की 17.05 बीघा, ख0न0 161 की 26.09 बीघा, 178 की 13 बीघा, ख0न0 179 की 2 बीघा कुल तादादी 103.14 बीघा भूमि स्थित है। जिसके वादी के दादा रामदयाल पुत्र अर्जनराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा रामदयाल की फौतदगी के बाद उक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणों पर औद हुई प्रतिवादी स0 1 के हिस्से में रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 127/129 की 2.9640 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 225/222 की कुल 0.4471 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 229/221 की कुल 0.7105 हैक्ट भूमि दर्ज हुई एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के संयुक्त रूप से 3644/69075 हिस्सा भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी, उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 का [illegible] स0 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादी स0 3 जो की वादी एवं प्रति[illegible] स0 2 की बहिन [illegible] प्रतिवादी स0 1 की पुत्री उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है

वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 काबिज है। वादी अपने हक हिस्सा अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 127/129 की 2.9640 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 225/222 की कुल 0.4471 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 229/221 की कुल 0.7105 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार दर्ज किया जावें एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3644/69075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जावें। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल/राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 127/129 की 2.9640 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 225/222 की कुल 0.4471 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 229/221 की कुल 0.7105 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3644/69075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:14 IST
Reason: SelfAttested

साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने तथा एवं प्रतिवादीगण के राजीनाम एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 127/129 की 2.9640 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 225/222 की कुल 0.4471 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 229/221 की कुल 0.7105 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवाादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3644/69075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23.... को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 14/2023

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र हरफुल सिंह जाति जाट निवासी संगठिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. हरफुल पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. बंशी लाल पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. रोशनी देवी पुत्री हरफुल पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी सरायण तहसील तारानगर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 14 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 127/129 की 2.9640 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 225/222 की कुल 0.4471 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 229/221 की कुल 0.7105 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवाादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 154/148 की कुल 69.0750 हैक्ट भूमि में से 3644/69075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर